भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3699
12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

कम मछली पकड़े जाने की अवधि के दौरान सहायता

3699. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत कम मछली पकड़े जाने की अवधि के दौरान मछुआरों के परिवारों को प्रदान की गई वित्तीय और पोषण संबंधी सहायता का बिहार सहित वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बिहार के मछुआरों को खुदरा बाजारों में उनकी मछलियों का उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बिहार में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत कोई आदर्श मत्स्य ग्राम परियोजना शुरू की गई है; और
(ङ) यदि हाँ, तो बिहार में ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्य में ऐसी पहलों के अभाव के क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) में अन्य बातों के साथ-साथ, बिहार सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरे परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। 3000 रुपए की सरकारी वित्तीय सहायता और 1500 रुपए का लाभार्थी योगदान मिलाकर 4500 रुपये होता है और यह राशि प्रत्येक मछुआरे को मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान प्रति माह 1500 रुपये की दर से प्रदान की जाती है। यह सहायता सामान्य राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 80:20 के अनुपात में साझा की जाती है जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विगत पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान, औसतन 5,94,538 पारंपरिक मछुआरे परिवारों को सालाना 1384.98 करोड़ रुपये की कुल लागत से आजीविका और पोषण सहायता प्रदान की गई है, जिसमें केंद्र का 490.84 करोड़ रुपए शेयर शामिल है। बिहार सहित मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान पारंपरिक मछुआरा परिवारों को प्रदान की गई आजीविका और पोषण सहायता का राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुबंध में प्रस्तुत है।

(ख) और (ग): बिहार में फिश मारकेटिंग इनफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने PMMSY के तहत, 91.906 करोड़ रुपए के परिव्यय से मत्स्य परिवहन की 1708 इकाइयों के लिए सहायता प्रदान की है, यानी रेफ्रीजेरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, टू वीलर/थ्री वीलर, 52 कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट, 1 अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट, 90 फिश कियोस्क तथा मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों की ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग के लिए 1 ई-प्लेटफॉर्म । मछुआरों, मत्स किसानों और अन्य हितधारकों को रियल टाईम पर कीमत की जानकारी प्रदान करने और उन्हें बेहतर मूल्य और लाभप्रदता के लिए मोल भाव करने में सहायता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) ने बिहार सहित 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 111 होलसेल और रीटेल फिश मारकेट्स से व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री और अंतर्देशीय मछलियों की प्रजातियों के बाजार मूल्यों को लेकर उन्हें प्रसारित करने के लिए 'फिश मारकेट प्राईस इंफोरमेशन सिस्टम' (FMPIS) शुरू की है। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि यह FMPIS वर्तमान में पटना और दरभंगा जिले में लागू किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मछुआरों को फिश रीटेल मारकेट में उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले।

(घ) और (ड़) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) में अन्य बातों के साथ-साथ एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों (इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजस) के विकास के लिए तटीय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक एकीकृत तटीय मत्स्यन गांव के विकास के लिए परिकल्पित इकाई लागत केंद्र और संबंधित राज्य सरकार के बीच 60:40 के आधार पर साझा की जाती है और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में भारत सरकार 100% इकाई लागत वहन करती है। PMMSY के तहत, कुल 11 एकीकृत आधुनिक तटीय गांवों के विकास के लिए 7756.46 लाख रुपए के कुल परिव्यय से प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें (i) केरल में 6106.61 लाख रुपए की लागत से नौ तटीय गांव, (ii) लक्षद्वीप में 899.85 लाख रुपये की लागत से एक तटीय गांव और (iii) पश्चिम बंगाल में 750 लाख रुपये की लागत से एक तटीय गांव शामिल हैं। इसके अलावा, PMMSY के तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से, समुद्र तट के समीप स्थित 100 तटीय मछुआरा गांवों की पहचान उन्हें जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों [क्लाईमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजस (CRCFV)] के रूप में विकसित करने के लिए इस मंशा के साथ की है ताकि इन गांवो को आर्थिक रूप से सुदृढ़ मछुआरा गाँव बनाया जा सके । राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफ़डीबी), हैदराबाद को एक नोडल एजेंसी बनाया गया है और PMMSY के अंतर्गत कुल 200 करोड़ रुपये की लागत से चिन्हित 100 तटीय गाँवों के विकास के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। PMMSY योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, दोनों घटक, अर्थात् इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजस और क्लाईमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजस , केवल तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही कार्यान्वित किए जाते हैं, अत: बिहार सहित अंतर्देशीय राज्यों में इन घटकों के अंतर्गत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

***

अनुबंध

कम मछली पकड़े जाने की अवधि के दौरान सहायता के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अजय कुमार मंडल द्वारा 12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3699 के भाग- (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण : PMMSY के तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मछुआरों के परिवारों को प्रदान की गई आजीविका और पोषण सहायता का राज्यवार विवरण

(रु लाख में)

क्रम सं	राज्यों के नाम	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
		वास्तविक (सं)	परियोजना लागत	भारत सरकार का शेयर	वास्तविक (सं)	परियोजना लागत	भारत सरकार का शेयर	वास्तविक (सं)	परियोजना लागत	भारत सरकार का शेयर	वास्तविक (सं)	परियोजना लागत	भारत सरकार का शेयर	वास्तविक (सं)	परियोजना लागत	भारत सरकार का शेयर
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	98360	4426.20	1475.40	98360	4426.20	1475.40	123000	5535.00	1845	123000	5535.00	1845.00
2	असम	20000	900.00	480.00	21000	945.00	504.00	21000	945.00	504.00	21000	945.00	504	21000	945.00	504.00
3	बिहार	0	0	0	50000	2250.00	750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	8000	360.00	120.00	8000	360.00	120.00	10000	450.00	150.00	10000	450.00	150.00	10000	450.00	150.00
5	गुजरात	0	0	0.00	30000	1350.00	450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	हिमाचल प्रदेश	3557	160.07	85.37	3557	160.07	85.37	4032	181.45	96.77	2675	120.38	64.20	3444	154.98	82.66
7	कर्नाटक	24003	1080.14	360.05	20414	918.63	306.21	24003	1080.14	360.05	24136	1086.12	362.04	23822	1071.99	357.33
8	केरल	178265	7110.00	2673.98	179316	8069.22	2689.74	183540	8259.30	2753.10	158002	6464.10	2154.70	156042	6563.55	2187.85
9	मध्य प्रदेश	10385	467.33	155.78	11237	505.67	168.56	10506	472.77	157.59	14989	674.51	224.84	12528	563.76	187.92
10	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0.00	0.00	2000	90.00	30.00	2000	90.00	30.00	0	0	0
11	मिज़ोरम	6283	282.74	150.79	6283	282.74	150.79	0	0	0	6304	283.68	151.30	0	0	0
12	ओड़ीशा	12000	540.00	180.00	20000	900.00	299.97	0	0	0	12000	540.00	180.00	1000	540.00	180.00
13	राजस्थान	103	3.09	1.11	2200	99.00	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	सिक्किम	0	0	0	200	9.00	4.80	60	2.70	1.44	215	9.68	5.16	220	9.90	5.28
15	तमिल नाडु	216747	9753.62	3251.21	170000	7650.00	2550.00	190365	8566.43	2855.48	179000	8055.00	2685.00	179000	14320.0	2685.00
16	तेलेंगाना	2000	90.00	30.00	4000	180.00	60.00	0	0.00	0.00	4000	180.00	60.00	0	0	0
17	त्रिपुरा	2239	67.17	53.74	4142	186.39	99.41	4246	191.07	101.90	3908	175.86	93.79	0	0	0
18	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	45.00	15.00
19	उत्तराखंड	0	0	0	200	9.00	4.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	अंडमान और निकोबार	0	0	0	1000	45.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	जम्मू कश्मीर	17396	782.82	521.88	16286	732.87	488.58	16286	732.87	488.60	14500	652.50	435.00	17500	787.50	525.00
22	लक्षद्वीप	0	0	0	2500	112.50	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	पुदुच्चेरी	28767	1294.52	863.01	28767	1294.52	863.01	24800	1116.00	744.00	25000	1125.00	750.00	27000	1215.00	810.00
कुल		529745	22891.48	8926.91	677462	30485.80	11208.64	589198	26513.93	9718.33	600729	26386.83	9695.03	575556	32201.68	9535.04

*****